राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 174/2024

डॉ. बत्तीलाल मीना —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.01.2024
आदेश की दिनांक : 05.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन कर संशोधित अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2024, दिनांक 25.01.2024 एवं 16.03.2024 (क्रमशः अनुलग्नक–1, 2 एवं 2ए) को चुनौती दी गई है। आदेश दिनांक 24.01.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेश में वर्णित कारण के आधार पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में (एपीओ) किया गया एवं इसकी अनुपालना में आदेश दिनांक 25.01.2024 द्वारा कार्यमुक्त किया गया एवं आदेश दिनांक 16.03.2024 द्वारा अपीलार्थी को नया पदस्थापन टीबी सेन्टर, प्रतापगढ़ किया गया है। प्रस्तुत अपील के अनुसार दिनांक 24.01.2024 के आदेश स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में जारी किया गया। अपीलार्थी का निवेदन है कि दो स्तर से प्रारम्भिक जांच की गई। प्रथम जांच संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं द्वितीय जांच प्रोफेसर एसएमएस मेडिकल कॉलेज द्वारा की गई। दोनों जांच में अपीलार्थी का नाम नहीं है एवं अपीलार्थी को बिना किसी आधार के अन्य चिकित्सकों के साथ एपीओ किया गया। यह आरएसआर के नियम 25ए के उल्लंघन में है। अपीलार्थी वरिष्ठ

विशेषज्ञ (MD, Chest & TB physician) के पद पर राजकीय जिला चिकित्सालय दौसा में कार्यरत है। सिलिकोसिस प्रमाणीकरण के संबंध में समाचार पत्रों में शिकायते प्रकाशित होने पर संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जांच कर रिपोर्ट दिनांक 01.09.2023 को प्रस्तुत की जिस पर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने पीएमओ दौसा को पत्र दिनांक 11.10.2023 द्वारा 15 चिकित्सकों के विरूद्ध विभागीय जांच के प्रस्ताव भेजने हेतु लिखा उसमें अपीलार्थी का नाम नहीं है (अनुलग्नक–3)। फिर राज्य स्तर से जांच की गई उसमें भी अपीलार्थी का नाम नहीं है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी को कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है। अचानक से आदेश दिनांक 27.12.2023 में अपीलार्थी का नाम दोषी अधिकारियों की सूची में शामिल कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया (अनुलग्नक–5)। दोनो जांच प्रतिवेदनों में अपीलार्थी के विरूद्ध किसी कार्यवाही की अभिशंषा नहीं की गई। लेकिन पत्र दिनांक 27.12.2023 में नाम शामिल करके अन्य 8 चिकित्सकों के साथ अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.01.2024 द्वारा एपीओ कर दिया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना विवेक का उपयोग किए एवं बिना दोनों जांच रिपोर्टस पर विचार किए अपीलार्थी को एपीओ एवं कार्यमुक्त कर दिया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.01.2023 द्वारा दिनांक 15.01.2023 से स्थानान्तरण पर पूर्णतः प्रतिबंध है। आदेश दिनांक 03.01.2024 (अनुलग्नक–6) द्वारा पुनः स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि में स्थानान्तरण/एपीओ आदेश जारी नहीं किए जावे। स्थानान्तरण राज्य सेवा का आवश्यक अंग है परन्तु शिकायत पर स्थानान्तरण अनुज्ञेय नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हेमेन्द्र त्रिवेदी बनाम राजस्थान राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोमेश तिवाड़ी के प्रकरण पारित निर्णय के आधार पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अपीलार्थी जिला अस्पताल दौसा में TB & Chest physician पर कार्यरत है एवं online पोर्टल की प्रक्रिया अनुसार अपीलार्थी को रेडियोलोजिस्ट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार करना होता है। उसके पास यह विकल्प नहीं है कि वह रेडियोलोजिस्ट की रिपोर्ट को अस्वीकार करे। online पोर्टल में सुधार अपेक्षित है। आरएसआर के नियम 25ए के अनुसार कुछ निश्चित दशा/परिस्थिति में ही लोक सेवक को एपीओ किया जा सकता है। इस प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति उपस्थित नहीं है। अपील लम्बित रहने के दौरान आदेश दिनांक 16.03.2024 (अनुलग्नक–2ए) द्वारा अपीलार्थी का टीबी सेन्टर प्रतापगढ़ स्थानान्तरण कर दिया गया। आलौच्य आदेश अवैध रूप से प्रतिबंध अवधि में दण्डात्मक प्रकृति से एवं आरएसआर के नियम 25ए के उल्लंघन में जारी होने से अपील स्वीकार कर इनको अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से मूल अपील में प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया कि आलौच्य आदेश दिनांक 24.01.2024 एवं 25.01.2024 प्रशासनिक आवश्यकताओं, व्यापक जनहित में किए गये है इसमें कोई अवैधता, नियमों का उल्लंघन या दुर्भावना पूर्ण आशय नहीं है। अपीलार्थी वरिष्ठ विशेषज्ञ (टीबी) जिला चिकित्सालय दौसा में दिनांक 19.06.2014 से 25.01.2024 तक पदस्थापित रहे। दौसा जिले में सिलिकोसिस रोगियों के गलत

प्रमाणीकरण एवं इस आधार पर राज्य की सिलिकोसिस नीति के अनुसार भुगतान होने से राज्य सरकार को वित्तीय हानि होने का तथ्य प्राचार्य एवं नियत्रंक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर द्वारा गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट एवं जिला कलक्टर दौसा द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में आने के आधार पर आदेश दिनांक 24.01.2024 द्वारा एपीओ किया जाकर आदेश दिनांक 25.01.2024 द्वारा कार्यमुक्त किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र दिनांक 16.01.2024 में दौसा जिले में सिलिकोसिस प्रमाणीकरण प्रकरण में दोषी अधिकारी/कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अन्तर्गत सीसीए 16 के आरोप पत्र भिजवाने हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार कर पत्र दिनांक 27.01.2024 द्वारा संयुक्त निदेशक जोन जयपुर को भिजवाये जा चुके। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी की तरफ से अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर बहस कर अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से निवेदन किया कि दौसा जिले में सिलिकोसिस प्रमाणीकरण में अनियमितता होने एवं गलत प्रमाणीकरण के आधार पर भुगतान होने से राज्य सरकार को वित्तीय हानि होने के आधार पर अपीलार्थी सहित कुल 9 चिकित्सकों को आदेश दिनांक 24.01.2024 द्वारा एपीओ किया जाकर अपीलार्थी को दिनांक 25.01.2024 को अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है। साथ ही निवेदन किया कि पश्चातवर्ती स्थानान्तरण आदेश दिनांक 16.03.2024 द्वारा अपीलार्थी का नया पदस्थापन किया जा चुका है। अतः अब आदेश दिनांक 24.01.2024 एवं इसकी अनुपालना में जारी आदेश दिनांक 25.01.2024 प्रभावी नहीं होने से इन आदेशों की हद तक अपील सारहीन हो गई है। आदेश दिनांक 16.03.2024 द्वारा अपीलार्थी का नया पदस्थापन सक्षम स्तर से अपीलार्थी के पद अनुरूप नियमानुसार किया गया है, जो पूर्णतः नियम संगत होने से अपील खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह निर्विवाद तथ्य है कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 16.03.2024 (अनुलग्नक–2ए) द्वारा पदस्थापन किया जा चुका है अतः पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 24.01.2024 एवं 25.01.2024 अब प्रभावी नहीं रह गये है। अतः इन आदेशों की हद तक अपील सारहीन हो गई है। आदेश दिनांक 16.03.2024 द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन टीबी सेन्टर प्रतापगढ़ किया गया है। उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार इस आदेश में कोई नियम विरूद्धता परिलक्षित नहीं पाई जाती है। अतः उक्त विवेचन एवं तथ्यों के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य